संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

''कचनार'' ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/3653/वि.यो.496/नग्रानि/2020 भोपाल, दिनांक 11/9/2020

नरसिंहपुर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नरसिंहपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नरसिंहपुर

अनुसूची

क्र.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात् प्रावधान
1	**अध्याय-4** **4.11:- मध्यवर्ती क्षेत्र** नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :- **(अ)** उत्तर - चांडक चौक से नई बस्ती तक। **(ब)** पूरब - खिरहनी फाटक से रेल्वे स्टेशन। **(स)** दक्षिण - रेल्वे कालोनी से मिशन चौक तक। **(द)** पश्चिम -चांडक चौक से मिशन चौक तक।	**अध्याय-4** **4.11:- मध्यवर्ती क्षेत्र** नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:- (अ) उत्तर-पूर्व - मुशरान पार्क से होते हुए इतवारा बाजार डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक। **(ब)** उत्तर-पश्चिम - नरसिंह तालाब के समानांतर लालमहल एम एल बी कालेज एवं डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक। **(स)** दक्षिण-पूर्व - कंदेरी मुख्य मार्ग होते हुए सिंगरी नदी की सीमा तक। **(द)** दक्षिण-पश्चिम - सिंहपुर तिराहा से मार्ग के समानांतर सींगरी नदी की दक्षिणी सीमा तक।

	अध्याय-6 सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4	**अध्याय-6** सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 में रेस्टोरेंट एवं खेल का मैदान के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4 में शैक्षणिक संस्थाएं के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।
	व्याख्या– 1. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें । 2. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग। 3. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार। टीप :– उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।	
3	**6.18:-वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन** **स-** गंजक्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे।	**6.18:- वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन** **स-** स्टेशन गंज क्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल